BA-2, Paper-3,

TOPIC - Indian legislature

Date - 27.05.2020

Book reference - सुभाष कश्यप (हमारी संसद), एम लक्ष्मीकांत (भारत की राज्यव्यवस्था)।

Seema kumari, Asst. Prof. (Pol. Sc.), RMC, Sasaram

भारतीय विधायिका :-

संसद केंद्र का विधायी अंग है। संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार व शक्ति आदि के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के अनुसार भारत की संसद के तीन अंग हैं- राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा। 'वेस्टमिनिस्टर मॉडल' ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है।

दोनों सदनों की संरचना (राज्य सभा की संरचना) -

राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। इनमें से 238 सदस्य राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि (अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित) होंगे, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। वर्तमान समय में 245 सदस्य हैं, 229 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं; 4 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं।

लोकसभा की संरचना - लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। इनमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि, 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि, एंग्लो इंडियन समुदाय के दो प्रतिनिधि राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। वर्तमान में 545 सदस्य, 530 राज्यों से, 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से, 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित।

Scanned with CamScanner

दोनों सदनों की अवधि (राज्य सभा) - राज्यसभा (पहली बार 1952 में स्थापित) निरंतर चलने वाली संस्था है। इसका विघटन नहीं होता है। किंतु इसके एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत होते हैं। सेवानिवृत होने वाले सदस्य कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं और नामित हो सकते हैं।

लोक सभा की अवधि - सामान्यतः यह इसकी अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से पांच वर्ष के लिए होती है, इसके बाद यह स्वयं विघटित हो जाता है। राष्ट्रपति को पांच साल से पहले किसी भी समय इसको विघटित करने का अधिकार है। लोस की अवधि आपात स्थिति में एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

संसद सदस्य बनने की योग्यता (अर्हता) -

1. भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. उसे निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष 3 अनुसूची में दिए प्रारूप के अनुसार शपथ का प्रतिज्ञान लेना चाहिए।
3. राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए।

अ.100 - प्रत्येक सदन की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग है।

संसद के अध्यक्ष - लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है तथा राज्यसभा की अध्यक्षता उप राष्ट्रपति करता है। लो सभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। लोकसभा व राज्यसभा के अध्यक्षों की शक्तियां व कार्य लगभग एक समान हैं।

Scanned with CamScanner

अपने अपने सदन में प्रत्येक की कुछ प्रशासकीय शक्तियां होती हैं, जैसे - सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना, सदन में व्यवस्था बनाए रखना, सदन की कार्यवाही का निरीक्षण करना, सदन की वैधानिक कार्यवाही का संचालन व निरीक्षण करना, सदन में अनुशासन बनाए रखना, सदन में वैधानिक कार्यवाही में सदस्यों को बोलने की आज्ञा देना, मतगणना करना, तथा परिणाम घोषित करना, सदन में ~~प्रमाणित~~ प्रस्ताव को प्रमाणित करना, अनेक समितियों के कार्यों का निरीक्षण करना, बराबर मत पड़ने पर निर्णायक मत देना आदि। लोकसभा का अध्यक्ष ही प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं।

Next role